झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड का पत्रांक–1132, दिनांक–09.05.2015
2. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक–963/गो0, दिनांक–21.07.2015
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–6001, दिनांक–07.07.2015

श्री जय ज्योति सामंता, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–831/03, गृह जिला–बोकारो), के विरूद्ध निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के पद पर कार्यावधि में श्री जेम्स कुमार नवाब एवं अन्य पत्रकारगण, देवघर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित परिवाद–पत्र, दिनांक 08.05.2015 में श्री सामंता के विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं :–

"निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा देवघर नगर निगम चुनाव में नामांकन का समय–सीमा समाप्त होने के बाद एक महिला से नामांकन कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संबंध में सवाल करने पर मिडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार किया गया तथा जेल भेजने की धमकी दी गयी।"

उक्त परिवाद–पत्र में अंकित आरोपों की जाँच कराये जाने हेतु सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक–1132, दिनांक–09.05.2015 द्वारा उपायुक्त, देवघर से अनुरोध किया गया। उपायुक्त, देवघर द्वारा मामले की जाँच अपर उपायुक्त, देवघर से कराकर जाँच–प्रतिवेदन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड को भेजा गया। उपायुक्त का कहना है कि अपर उपायुक्त, देवघर से प्राप्त जाँच–प्रतिवेदन, अनु0 पदा0, देवघर से प्राप्त सी0डी0 तथा शिकायतकर्त्ता से प्राप्त सी0डी0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि–

(क) नामांकन के अंतिम चरण में 03:00 बजे अपराह्न निर्वाची पदाधिकारी के प्रकोष्ठ के दरवाजे को बंद नहीं किया गया। प्रकोष्ठ में प्रतिनियुक्त विडियोग्राफर द्वारा नामांकन की समाप्ति प्रक्रिया का संपूर्ण videorecording भी नहीं किया गया।

(ख) शिकायतकर्त्ता द्वारा प्राप्त सी0डी0 एवं जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में विरोधाभास प्रतीत होता है। सी0डी0 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त महिला के खाली हाथ प्रकोष्ठ में प्रवेश होने के बावजूद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की सिफारिश की गयी एवं निर्वाची पदा0 द्वारा स्वयं उनका मोबाईल नं0 आदान–प्रदान किया गया। उपस्थित मिडिया के विरोध के बाद उन्हें कैमरा बंद करने एवं

प्रकोष्ठ छोड़ने का निदेश दिया गया। इस प्रकार, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया है।

उपायुक्त, देवघर के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा श्री सामंता को निर्वाचन प्रक्रिया के उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित तरीके से नहीं किये जाने एवं आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए निर्वाची पदाधिकारी से पद से हटा दिया गया और आयोग के पत्रांक–1266, दि0 21.05.2015 द्वारा उक्त प्रतिवेदन विभाग को भेजते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

आरोपी पदाधिकारी के ज्ञापांक–666 / सा0(निर्वा), दिनांक–25.05.2015 द्वारा उपायुक्त, देवघर को संबोधित स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि विभाग को भेजी गयी, जिसमें कहा गया है कि नाम–निर्देशन की अंतिम तिथि में नामांकन की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने की सूचना बाहर घोषित करने तथा RO कक्ष के दरवाजे को बंद करने के निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले संबंधित कर्मियों से इनके द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, श्री सूरज प्रकाश चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रा0 वि0 विभाग द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जो निर्वाचन कार्य में बरती गयी लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। श्रीमती प्रेमलता मुर्मू एवं डॉ0 देव प्रसाद, दोनों–सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। तद्नुसार, इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि लगाये गये आरोप से इन्हें मुक्त करते हुए उपरोक्त प्रतिनियुक्त कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

विभागीय पत्रांक–6001, दिनांक–07.07.2015 द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री सामंता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की प्रति भेजते हुए एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–963 / गो0, दिनांक–21.07.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निर्वाची पदा0(आरोपी पदाधिकारी) के स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 08. 05.2015 (नाम–निर्देशन की अंतिम तिथि) को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में ही उपस्थित थे। इसके बावजूद निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के उपरांत दरवाजे को बंद करने का निर्देश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी को नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि ये अपना दायित्व सहायक निर्वाची पदाधिकारी पर फेंकते हुए उन पर दोषारोपण कर रहे हैं, जो उनके निर्वाचन कार्यों में बरती गयी लापरवाही को उजागर करता है। स्पष्टीकरण की प्रति सीधे प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग; ग्रामीण विकास विभाग एवं कार्मिक विभाग को भेजना उनके अनुशासनहीनता को प्रदर्शित

करता है एवं निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतः श्री सामन्ता द्वारा निर्वाचन के दौरान अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित तरीके से नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

श्री सामंता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, देवघर के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सामंता के विरूद्ध अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप प्रमाणित होते हैं। उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री जय ज्योति सामंता, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर को 'चेतावनी' की सजा संसूचित की जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री में कर दी जाय।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जय ज्योति सामंता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9.10.15

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–334/2014 का०–8910/राँची, दिनांक 9 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9.10.15

सरकार के उप सचिव।